

भारत में पर्यावरणीय अपराध (Environmental Crimes In India – Environment And Economy)

पर्यावरणीय अपराध क्या है?

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड (प्रमाण) ब्यूरो (सरकारी विभाग) (एनसीआरबी) के अनुसार केवल निम्नलिखित पाँच कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन को पर्यावरणीय अपराध के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।

- वन अधिनियम, 1927;
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972;
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986;
- वायु (प्रदूषण नियंत्रण और संरक्षण) अधिनियम, 1981;
- जल (प्रदूषण नियंत्रण और संरक्षण) अधिनियम, 1974 (1988 में संशोधित)

भारत में पर्यावरणीय अपराधों की रिपोर्टिंग (विवरण) में कमी के कारण

- एनसीआरबी के आंकड़े उन कानूनों के अपर्याप्त कवरेज (विस्तृत रूप से) से प्रभावित है जिनका उल्लंघन पर्यावरण के विरुद्ध एक अपराध माना जाता है।
- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (मंडल) (पीसीबी) जो वायु और जल प्रदुषण से संबंधित मामलों को देखता है, के पास न प्रवर्तन अधिकारी है और न शिकायतों पर ध्यान देने की कोई क्रियाविधि है और न ही इसके पास पुलिसिंग संबंधी कार्य है। ये केवल परमिट (अनुमति) जारी करते हैं।
- पुलिस अधिकारी विभिन्न पर्यावरणीय अधिनियमों के अंतर्गत कानूनी प्रावधानों से प्रायः अनभिज्ञ होते हैं। इसलिए इससे जुड़े अपराधों को विभिन्न पर्यावरणीय कानूनों के तहत रिकार्ड (प्रमाण) नहीं कर पाते हैं।